राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/ e-mail: cce_raj@yahoo.com Phone: 0141-2706847 (O);

पत्रांक: CCE/ P&C/ ISDC/ 2019/ 572 Date: 26th January 2019

प्राचार्य
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः राजकीय महाविद्यालयों में प्रतियोगी परीक्षाओं के सफलतापूर्वक संचालन, गणतंत्र दिवस पर विद्यार्थियों को सामान्य ज्ञान की पुस्तक के निःशुल्क वितरण एवं 100 दिवसीय कार्य योजना प्रस्तावों के संबंध में।

महाविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को 70वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

गणतंत्र दिवस के अवसर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों को सामान्य ज्ञान की पुस्तक के निःशुल्क वितरण कार्य को जिस तत्परता, निष्ठा एवं लगन से महाविद्यालयों ने किया है उसके लिये मैं सभी प्राचार्यों एवं संकाय सदस्यों को बधाई देता हूं। साथ ही, अपेक्षा करता हूं कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रारम्भ किया गया यह अभियान आपके महाविद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी तक इस निःशुल्क पुस्तक को पहुंचाकर ही सम्पन्न होगा।

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान के आदेश क्रमांक CCE/ P&C/ ISDC/ 2019/ 539; दिनांक: 16th January 2019 द्वारा सभी राजकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु **प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम** के अन्तर्गत निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं आयोजित करवाने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी आदेश के क्रम में पुनः लेख है कि –

1. सभी राजकीय महाविद्यालयों को विद्यार्थियों के लिये ये निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं संचालित करना आवश्यक है। अतः महाविद्यालय में आयोजित की जा रही इन कक्षाओं में अध्यापन हेतु महाविद्यालय में कार्यरत संकाय सदस्यों को स्वैच्छिक आधार पढाने हेतु प्रेरित करें।
2. महाविद्यालय स्तर पर विद्यार्थी की रुचि अनुरुप प्रतियोगी परीक्षा का चयन भरवाते हुए प्रतियोगी परीक्षावार प्रवेशित विद्यार्थियों की सूचना प्रभारी अधिकारी के माध्यम से आयुक्तालय को भिजवायें।
3. इन कक्षाओं के लिये प्रतियोगी परीक्षा के सिलेबस अनुसार महाविद्यालय स्तर पर पढाई व्यवस्था का आकलन करें, तत्पश्चात संबंधित प्रभारी अधिकारी के माध्यम से आयुक्तालय को सूचित करावें, ताकि प्रतियोगी परीक्षांनुरुप पढ़ाने की वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके।
4. प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये निःशुल्क कोचिंग कक्षाओं में सहायता, मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन हेतु श्रीमान शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान द्वारा सभी जिला कलैक्टर महोदयों को शीघ्र ही एक पत्र प्रेषित किया जा रहा है। इसकी सूचना आपको प्रेषित की जावेगी। तत्पश्चात्, जिला मुख्यालय पर स्थित महाविद्यालयों के प्राचार्य संबंधित जिले के जिला कलैक्टर महोदय से व्यक्तिशः मिलकर अनुरोध करें।
5. इन निःशुल्क कोचिंग कक्षाओं के संचालन में प्रेरणादायी मार्गदर्शन, प्रोत्साहन एवं विद्यार्थियों को यथा संभव विषय ज्ञान तैयारी करने की कौशल सिखाने हेतु कक्षाएं लेने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा भी राज्य के सभी 33 जिलों में पदस्थापित अतिरिक्त जिला कलैक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारियों से व्यक्तिशः अनुरोध करते हुए अर्द्धशासकीय पत्र प्रेषित किये जा रहे हैं। इन पत्रों को संबंधित अधिकारियों को प्रेषित करने के उपरान्त आपको सूचना प्रेषित की जावेगी। तत्पश्चात्, जिला/उपखण्ड़ मुख्यालय पर स्थित महाविद्यालयों के प्राचार्य संबंधित जिले में पदस्थापित अतिरिक्त जिला कलैक्टर/उपखण्ड़ अधिकारियों से व्यक्तिशः मिलकर अनुरोध करेंगे।

सामान्य ज्ञान की पुस्तक के निःशुल्क वितरण के संबंध में लेख है कि –

6. आदेश क्रमांक CCE/ P&C/ ISDC/ 2019/ 910; दिनांक: 17th January 2019 की अनुपालना में महाविद्यालयों द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों को निःशुल्क वितरित की गई सामान्य ज्ञान की पुस्तक की एक रिपोर्ट, जिसमें पुस्तक का नाम, प्रकाशक का नाम एवं स्थान तथा कितनी

Scanned with CamScanner

पुस्तकें उक्त दिवस पर वितरित की गई हैं, की सूचना दिनांक 29 जनवरी 2019 तक संबंधित प्रभारी अधिकारी के माध्यम से आयुक्तालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

साथ ही, वितरित की गई पुस्तक की एक नमूना प्रति जिसके अन्तिम पृष्ठ पर प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं महाविद्यालय की मौहर लगी हो, संबंधित प्रभारी अधिकारी के माध्यम से दिनांक 01 फरवरी 2019 तक आयुक्तालय को भिजवाया जाना सुचिश्चत करें, ताकि विद्यार्थी सहायतार्थ वितरित इस पुस्तक का रिकार्ड आयुक्तालय स्तर पर संधारित करवाया जा सके एवं जून माह के अन्तिम सप्ताह में प्रस्तावित राज्य स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के लिये इन पुस्तकों को आधार बनाया जा सके।

माननीय मंत्री महोदय, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 21 जनवरी 2019 को वीडियो कान्फ्रेनिसंग के माध्यम से 100 दिवसीय कार्य योजना प्रस्तावों एवं अन्य बिन्दुओं के संबंध में दिये गये निर्देशों के बारे में लेख है कि –

7. महाविद्यालयों में विद्यार्थी हित केन्द्रित विकास, संस्था विकास, संकाय सदस्यों में ज्ञान अभिवृद्धि एवं सामाजिक विकास/सरोकार के बिन्दुओं को केन्द्र में रखकर 100 दिवसीय कार्य योजना प्रस्ताव तैयार किये जाने हैं। इन प्रस्तावों को तैयार करने से पूर्व महाविद्यालय स्तर पर सभी संकाय सदस्यों के साथ मंथन करें एवं तत्पश्चात् प्रस्ताव तैयार कर कियान्विति रुपरेखा के विवरण सहित संबंधित प्रभारी अधिकरियों एवं क्षेत्रीय सहायक निदेशकों को अवगत करायें एवं इसकी सूचना संबंधित प्रभारियों के माध्यम से आयुक्तालय को प्रेषित करावें।

8. महाविद्यालयों में भयमुक्त वातवारण सुनिश्चित करने के संबध में आयुक्तालय द्वारा जारी निर्देशों की कियान्विति एवं प्रचार प्रसार की प्रगति से संबंधित प्रभारी अधिकरियों एवं क्षेत्रीय सहायक निदेशकों को अवगत करायें एवं इसकी सूचना संबंधित प्रभारियों के माध्यम से आयुक्तालय को प्रेषित करावें।

9. विद्यार्थियों में रोजगारपरक क्षमता विकास हेतु IGNOU के माध्यम से संचालित उद्यमिता एवं कौशल विकास के 21 पाठ्यकमों में प्रवेश के संबंध में जारी आदेश कमांक CCE/ P&C/ ISDC/ IGNOU/2019/ 546; दिनांक: 21st January 2019 की कियान्विति में विद्यार्थियों को सूचित एवं प्रोत्साहित करें। साथ ही, महाविद्यालय स्तर पर भी विद्यार्थियों में रोजगारपरक क्षमता विकास हेतु छोटी अवधि की कार्यशाला अथवा प्रशिक्षण आदि की योजनाबद्ध पहल करें।

सभी प्राचार्य ध्यान दें कि आयुक्तालय को प्रेषित की जाने वाली सूचनाओं (गोपनीय एवं अन्य निर्दिष्ट को छोडकर) की प्रति क्षेत्रीय सहायक निदेशक एवं संबंधित प्रभारी अधिकारियों को भी प्रेषित करें ताकि यथा संभव एक ही सूचना को बार बार मंगवाये जाने की प्रकिया से बचा जा सके।

प्रदीप कुमार बोरड़, IAS
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा; एवं
आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान

पत्रांक: CCE/ P&C/ ISDC/ 2019/ 573-74 Date: 26th January 2019

सूचनार्थ प्रतिलिपिः

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान, सरकार।
3. निजी सचिव, आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, आकाशि, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, HRD/Acad./Admn/RUSA/P&C, आकाशि, जयपुर।
7. क्षेत्रीय सहायक निदेशक, जयपुर/अजमेर/कोटा/भरतपुर/जोधपुर/बीकानेर/उदयपुर इस पत्र में निर्देशित बिन्दुओं की अनुपालना के संबंध में संबंधित क्षेत्रों में समन्वय करें।
8. सभी प्रभारी अधिकारीगण, इस पत्र में निर्देशित बिन्दुओं की अनुपालना के संबंध में संबंधित महाविद्यालयों के साथ समन्वय करें।
9. वैब प्रभारी को अपलोड करने हेतु/रक्षित पत्रावली।

26/1/19

डा. विनोद कुमार भारद्वाज
प्रभारी, नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ तथा
समन्वयक, प्रतियोगी परीक्षा परियोजना

Scanned with CamScanner